समाहरणालय, पलामू

(जिला भू–अर्जन शाखा)

सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अधिसूचना

(देखें नियम 6 का उप–नियम (1))

संख्या :–249 पलामू, दिनांक :–20/05/2017

भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और परिदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 धारा–4 के प्रावधानों के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 192 दिनांक 09.07.2016 के द्वारा अमानत पुल परियोजना हेतु ग्राम सिंगराकलां में गैरमजरूआ बन्दोबस्त भूमि पलामू अंचल के ग्राम सिंगराकलां के लिए Nodal Officer, Nilamber Pitamber, University Medininagar, Palamau को अनुरोध किया गया था। Nodal Officer, Nilamber Pitamber, University Medininagar, Palamau के द्वारा उक्त परियोजना हेतु SIA का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। एतद् द्वारा अमानत पुल परियोजना हेतु ग्राम सिंगराकलां में गैरमजरूआ बन्दोबस्त भूमि के अधियाचना के आलोक में पलामू अंचल के ग्राम सिंगराकलां में भूमि रकबा 1.75 एकड़ भूमि का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करने हेतु अधिसूचना निर्गत की जाती है।

22.5.17

1. परियोजना का नाम :–अमानत पुल परियोजना हेतु ग्राम सिंगराकलां में गैरमजरूआ बन्दोबस्त भूमि मौजा–सिंगराकलां, जिला पलामू।
2. ग्राम का नाम :–सिंगराकलां, थाना सं0–195, राजस्व थाना–सदर मेदिनीनगर, पुलिस स्टेशन–सदर मेदिनीनगर, अंचल–सदर मेदिनीनगर, जिला–पलामू।
3. भूमि की विवरणी–

खाता संख्या	प्लॉट संख्या	कुल खतियानी क्षेत्र (रकबा)	अर्जन किया जाने वाला क्षेत्र फल	अर्जन की जाने वाली भूमि की चौहद्दी उ0,द0,पू0, प0	भूमि का वर्गीकरण	खतियानी रैयत का नाम	पूरा पता सहित वर्तमान रैयत का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
216	1371	32.00	1.75	उ0–अमानत नदी द0–1371 पू0–1371 प0–1371	टॉड	गैरमजरूआ मालिक	1. योगेन्द्र कुमार सिंह, विरेन्द्र कुमार सिंह, पिता–स्व0 कामेश्वर सिंह 2. अरूण कुमार सिंह, गोपाल शरन सिंह, पिता–स्व0 तालकेश्वर सिंह 3. सिकुमार सिंह , पिता–स्व0 जगदीश्वर प्रसाद सिंह, नरेन्द्र सिंह, पिता– स्व0 अवधकिशोर सिंह, विजय कुमार सिंह, अजय कुमार सिंह, धनन्जय कुमार सिंह, पिता– स्व0 गिरवरधारी सिंह, राकेश कुमार सिंह, राजेश कुमार सिंह, पिता–स्व0 राजेन्द्र सिंह, श्यामनारायण सिंह, पिता–स्व0 विन्धा सिंह 4. रामनारायण सिंह, पिता–स्व0 रामसुन्दर सिंह, मनमोहन सिंह, राजेश कुमार सिंह, पिता–स्व0 योगेश्वरनाथ सिंह, संजय कुमार सिंह, पिता–स्व0 केदारनाथ सिंह, 5. नवलकिशोर सिंह, सुरेन्द्र सिंह, पिता–स्व0 बालकेश सिंह, सा0 सिंगरा कलां -
		कुल	1.75				

जमाबंदी संख्या	आवासीय घरों की संख्या	व्यावसायिक भवनों की सं0	वृक्षों की सं0	टंकी	तालाब	बोरिंग	अन्य संरचना
9	10	11	12	13	14	15	16
×	×	×	×	×	×	×	×

सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन का प्रतिवेदन अध्याय II के अन्तर्गत धारा–4 (4) उपधारा (1) में निर्दिष्ट सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के अन्तर्गत अन्य मामलों में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे, अर्थात :–

(क) इस बात का निर्धारण कि क्या प्रस्तावित अर्जन से लोक प्रयोजन पूरा होता है,
(ख) प्रभावित कुटुंबों का और उनमें से उन कुटुंबों की संख्या का प्राक्कलन, जिनके विस्थापित होने की संभावना है,
(ग) ऐसी सार्वजनिक एवं प्राइवेट भूमि, मकानों, बन्दोबस्तों और अन्य समान संपतियों की सीमा, जिनके प्रस्तावित अर्जन से प्रभावित होने की संभावना है,
(घ) क्या अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि की सीमा उस परियोजना के लिए पूर्णतया यथार्थ न्यूनतम सीमा तक की ही है,
(ङ) क्या किसी आनुकल्पिक स्थान पर भूमि का अर्जन किए जाने पर विचार किया गया है और उसे साध्य नहीं पाया गया है,
(च) परियोजना के सामाजिक समाघातों तथा उनको ठीक करने की प्रकृति और खर्च तथा इन खर्चो का परियोजना के समग्री खर्च पर परियोजना के फायदों की तुलना में समाघान के अध्ययनः
परन्तु पर्यावरणीय समाघात निर्धारण अध्ययन, यदि कोई हो, साथ–साथ किया जाएगा और यह सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के पूरा होने पर निर्भर नहीं करेगा।

(5) समुचित सरकार, उपधारा (1) के अधीन सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन का कार्य हाथ में लेते समय अन्य बातों के साथ उस समाघात पर विचार करेगी जो कि परियोजना से विभिन्न घटकों पर जैसे कि प्रभावित कुटुंबों की जीविका, सार्वजनिक और सामुदायिक संपत्तियों, आस्तियों तथा अवसंरचना, विशिष्टतया सड़कों, लोक परिवहन, जल–निकास स्वच्छता, पेयजल के स्रोतों, पशुओं के लिए जल के स्रोतों, सामुदायिक जलाशयों, चरागाह भूमि, बागानों, जन सुविधाओं पर जैसे कि डाकघर, उचित दर दुकानों, खाद्य भंडारण गोदाम, विद्युत प्रदाय, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं, विद्यालय और शैक्षिणक तथा प्रशिक्षण सुविधाएं, आंगनबाडी, बाल उद्यान, पूजा स्थल, पारम्परिक जनजातीय संस्थाओं और कब्रस्थान तथा श्मशान घाट के लिए भूमि, पर पड़ने की संभावना है।

धारा 5 जब कभी धारा 4 के अधीन सामाजिक समाघात निर्धारण तैयार करने हेतु, समुचित सरकार, लोक सुनवाई के लिए तारीख, समय और स्थान के बारे में पर्याप्त प्रचार करने के पश्चात् प्रभावित कुटुंबों के मतों का सामाजिक समाघात का सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट में अभिलिखित और सम्मिलित किया जाना अभिनिश्चित करने के लिए प्रभावित क्षेत्र में लोक सुनवाई के किए जाने को सुनिश्चित करेगी।

धारा 6 (1) समुचित सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन रिपोर्ट तथा धारा 4 की उपधारा (6) में निर्दिष्ट सामाजिक समाघात प्रबंध योजना तैयार की जाए और, यथास्थिति, पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम को तथा जिला कलक्टर, उपखंड मजिस्ट्रेट और तहसील कार्यालयों में स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराई जाए और प्रभावित क्षेत्रों में ऐसी रीति में जो विहित की जाए, प्रकाशित की जाए और समुचित सरकार की वेबसाइट पर अपलोड की जाए।

एस0 आई0 ए0 की अधिसूचना के लिए नियम 6 का उप नियम (i) शामिल होंगे।

(i) परियोजना का नाम, प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण और अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि का विस्तार, परियोजना क्षेत्र और एस0 आई0 ए0 द्वारा आच्छादित प्रभावित क्षेत्र।
(ii) एस0 आई0 ए0 के प्रमुख उद्देश्य और मुख्य क्रियाकलाप जिसके अन्तर्गत है (क) परामर्श (ख) सर्वेक्षण (सर्वे) (ग) लोक सुनवाई / सुनवाईयाँ।
(iii) एस0 आई0 ए0 के लिए टाईमलाइन और अंतिम परिदेय (एस0 आई0 ए0 प्रतिवेदन और एस0 आई0 एम0 पी0) साथ ही उनके प्रकटीकरण की रीति को विनिर्दिष्ट किया जाएगा।
(iv) यह कथन कि इस अवधि के दौरान प्रपीड़न अथवा भय उत्पन्न करने की कोई कोशिश हुई है तो यह इसे अकृत और शुन्य कर देगा। राज्य एस0 आई0 ए0 इकाई की सर्म्पक सूचना अंकित की जाए।

यह अधिसूचना भू–अर्जन अधिनियम 2013 के धारा 4 एवं नियमावली 2015 की अध्याय II के कंडिका 6 (4) के अन्तर्गत निर्गत किया जा रहा है।

20/05/17

उपायुक्त, पलामू।